MOST IMMEDIATE

ELECTION MATTER

STATE ELECTION COMMISSION
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
NIGAM BHAWAN, KASHMERE GATE,
DELHI-110006

ISSUED IN PUBLIC INTEREST

IDENTIFICATION OF VOTERS

Bye-Election to 12 Wards of Municipal Corporation of Delhi – Documents for identification of Electors at polling stations on 30.11.2025

All electors to whom Elector Photo Identity Card (EPIC) have been issued, are required to produce EPIC to cast their vote at the respective polling station for Bye-elections to 12 wards of the Municipal Corporation of Delhi, to be held on **30.11.2025 (Sunday).**

2. Further, voters whose name are on the Electoral Rolls but are unable to produce EPIC for their identification, will also be permitted to cast vote on production of any one of the following **12 alternative photo identity documents**:-

i) Aadhar Card,

ii) MNREGA Job Card,

iii) Passbook with photograph issued by Bank/ Post Office,

iv) Health insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour / Ayushman Bharat Health Card,

v) Driving License,

vi) PAN Card,

vii) Smart Card issued by Registrar General of India (RGI) under NPR,

viii) Indian Passport,

ix) Pension document with photograph,

x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./ Local Bodies /Public Sector Undertakings & Public Limited Companies,

xi) Official Identity Cards issued to MPs/MLAs/Municipal Councillors and

xii) Unique Disability ID (UDID) card issued by the M/o Social Justice and Empowerment, Govt. of India

(Ration Card shall not be admitted as document of Identity).

3. Any of the above mentioned documents that is available only to the head of the family may be used for identifying the other members of the family provided all members come together and are identified by the head of the family.

4 It may be reiterated that the presence of name on the electoral roll is a pre-requisite to be able to vote on polling day.

5. All voters for Bye-Elections to 12 Wards of the Municipal Corporation of Delhi are, therefore, advised to carry with them the Electors Photo Identity Card, or any of the above mentioned documents while going to cast their vote on **30.11.2025 from 7.30 AM to 5.30 PM**

Public cooperation is solicited to ensure free, fair and peaceful poll.

DO VOTE - EVERY VOTE COUNTS
USE "NIGAM CHUNAV DELHI" MOBILE APP

24/11/25

(Dr. VIJAY DEV)
STATE ELECTION COMMISSIONER

F. No. 10 (43)/Bye-Election/SEC/2022/ 21735 Dated: 24/11/2025

Copy to:

1. All District Election Officers, Election Observers & Returning Officers (12 Wards) for information & necessary action. They are also advised to bring the contents of the above Public Notice to the knowledge of all Presiding Officers at the time of their training.

2. Technical Officer (IT Cell), State Election Commission to upload on the website of the Commission.

24.11.25

(ADESHWAR KANT)
SECRETARY IN-CHARGE

MOST IMMEDIATE

ELECTION MATTER

राज्य निर्वाचन आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006

<u>जनहित में जारी</u>

<u>मतदाताओं की पहचान हेतु दस्तावेज</u>

<u>दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उप–चुनाव – 30.11.2025 (रविवार) मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की पहचान हेतु दस्तावेज</u>

दिनांक 30.11.2025 (रविवार) को होने वाले दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उप–चुनाव 2025 हेतु, जिन सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें उप–चुनाव के दौरान अपने–अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. इसके अलावा, वे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में है लेकिन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे नीचे दिए गए **<u>12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों</u>** में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं:

(क) आधार कार्ड,

(ख) मनरेगा जॉब कार्ड,

(ग) पासबुक बैंक/डाकघर द्वारा जारी जिसमें फोटो हो,

(घ) स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड –श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड के तहत जारी,

(ड़) ड्राइविंग लाइसेंस,

(च) पैन कार्ड,

(छ) स्मार्ट कार्ड– भारत के पंजीयक महानिदेशक (आर.जी.आई.) द्वारा एनपीआर के तहत जारी,

(ज) भारतीय पासपोर्ट,

(झ) पेंशन दस्तावेज जिसमें फोटो हो,

(ञ) सेवा पहचान पत्र–फोटो सहित–जो केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं,

(ट) सांसदों/विधायकों/नगर निगम पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र,

(ठ) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान–पत्र (यूडीआईडी) कार्ड–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी,

(राशन कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा)

3. ऊपर उल्लिखित किसी भी दस्तावेज का, जो केवल परिवार के मुखिया के पास उपलब्ध हो, उसका उपयोग परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आएँ और उनकी पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाए।

4. यह दोहराया जाता है कि मतदाता सूची में नाम की उपस्थिति मतदान दिवस पर वोट देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

5. दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के उप–चुनावों के लिए सभी मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र या ऊपर उल्लिखित किसी भी दस्तावेज को मतदान के लिए **30.11.2025 (सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे)** लेकर जाएँ।

निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु जन–सहयोग अपेक्षित है।

वोट अवश्य करें – हर वोट मायने रखता है
"निगम चुनाव दिल्ली" मोबाइल ऐप का उपयोग करें

(डॉ. विजय देव)
राज्य चुनाव आयुक्त

फा. संख्या. 10(43)/उप–चुनाव/राचुआ/2022/21735 दिनांक: 24/11/2025

प्रतिलिपिः

1. सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी (12 वार्ड) जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को अपने प्रशिक्षण के समय सभी पीठासीन अधिकारियों तक पहुँचाएँ।

2. तकनीकी अधिकारी (आईटी प्रकोष्ठ), राज्य निर्वाचन आयोग–इस सूचना को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(आदेश्वर कांत)
प्रभारी सचिव